

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 208

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्र-विरोधी भाषण

†208. श्री सी०एस० पुट्टा राजू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र-विरोधी भाषण देने वाले लोगों के अभियोजन हेतु विद्यमान कानून अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकारों के साथ परामर्श से कानून में संशोधन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) : जी, नहीं। भारतीय दंड संहिता, 1860 में राष्ट्र-विरोधी भाषण देने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

(ख) से (ग): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
